

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

## // विविध आदेश //

क्रमांक 202 /  
/ दो-15-3 / 90

रीवा, दिनांक 06 / 12 / 2024

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल प्रकरण क्रमांक-31 से 45, क्र. 51 से 70, क्र. 91 से 100, क्र. 141 से 150	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
2.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल प्रकरण क्रमांक-31 से 45, क्र. 81 से 95, क्र. 121 से 130, क्र. 161 से 190, क्र. 271 से 280, क्र. 461 से 480	
3.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल प्रकरण क्रमांक-26 से 30, क्र. 41 से 55, क्र. 101 से 115, क्र. 271 से 300	
4.	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल प्रकरण क्र.-111 से 135, क्र. 261 से 300, क्र. 341 से 370,	
5.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	सिविल प्रकरण क्रमांक-16 से 20, क्र. 301 से 330	
6.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	सिविल प्रकरण क्रमांक-01 से 20	

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म0प्र0)

o/c


## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

6305  
पृष्ठांकन क्र०...../  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 06 / 12 / 2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पंचम / षष्ठम / नवम् / अति, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)
5. जे०एस०ए० / डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)